भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1770

(जिसका उत्तर सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक) को दिया गया)

सीएसआर निधि का उपयोग

1770. श्री नारणभाई काछड़ियाः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस विषय में जानकारी है कि निजी क्षेत्र की कंपनियों को कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि के रूप में स्वीकृत की गई धनराशि का उपयोग उनके द्वारा कल्याण और विकास के लिए ही किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम") की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत सीएसआर के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान किया गया है। अधिनियम के तहत सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उनका निष्पादन करने और उनकी निगरानी करने का अधिकार है। अधिनियम की धारा 135 प्रत्येक कंपनी जिसकी निवल आय 500 करोड़ रु या अधिक है, या कुल कारोबार 1000 करोड़ रु या अधिक है या तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निवल लाभ 5 करोड़ रु या अधिक है, को कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार कंपनी के तत्काल तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत सीएसआर पर व्यय करने के लिए अधिदेशित करती है। इस प्रकार, सीएसआर के तहत कंपनियों को कोई राशि स्वीकृत करने की कोई अवधारणा या आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII कंपनियों द्वारा सीएसआर के रूप में प्रारंभ किए जा सकने वाले कार्यकलापों की पात्र सूची को दर्शाती है।

एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा विकास क्षेत्रवार, राज्यवार और कंपनीवार सहित फाइल किया गया सीएसआर से संबंधित समस्त डाटा सार्वजनिक डोमेन www.csr.gov.in पर उपलब्ध है। कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से की गई फाइलिंग के आधार पर पिछले तीन वित्तीय वर्ष (विव) अर्थात् 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध कार्यकलापों पर गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किया गया सीएसआर व्यय निम्नानुसार है।

विवरण	विव 2018-19	विव 2019-20	विव 2020-21
गैर-पीएसयू द्वारा किया गया सीएसआर व्यय (करोड़ रु में)	15972.88	19647.14	21233.95

(30.09.2022 तक के आंकड़े) [स्रोत: राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]

कंपनियों को वि.व. 2021-22 के लिए सीएसआर आंकड़ें दिनांक 31.03.2023 को या उससे पहले फाइल करना अपेक्षित है।

*****